

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेड़ा जिला-भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी :- महीपाल सिंह आर०ए०एस०

क्रमा संख्या :- 97/2022 ए०एम

1. ~~राजसिंह जं. सुरसिंह शहर नि० रीहड़ी नायाबिया- हल्का करेड़ा- काठे~~

प्रार्थी.....

बनाम

1. राजसिंह जं. सुरसिंह शहर नि० रीहड़ी नायाबिया- हल्का करेड़ा- काठे

विपक्षीगण..

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा०भू०रा०अधि० 1956

:: आदेश ::

दिनांक 28/08/22

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा०भू०रा०अधि० 1956 के तहत प्रस्तुत निवेदन किया कि ग्राम गोरिली पटवार हल्का गोरिली तहसील करेड़ा में उसके खाते/संयुक्त खातों की खाता संख्या 44/45 आराजी नम्बर 2611 2612 2614/2 2611 2614/1  
0.1012/0.2276/0.5691/0.2276/1.5934/

कुल किता 5 रकबा 2.7189

टेयर भूमि स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदाविया के सीमा चिन्ह नहीं होने आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खातों की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 28/08/22 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को लोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काशत की होने से पत्थरगढी ने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हैरा-फैरी का अदंशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इनत तथ्यों का देखते नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111-128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम गोरिली पटवार हल्का गोरिली तहसील करेड़ा में स्थित खाता संख्या आराजी नम्बर 2611 2612 2614/2 2611 2614/1  
0.1012/0.2276/0.5691/0.2276/1.5934/

कुल किता 5 रकबा 2.7189

हैक्टयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-लेख निरीक्षक राजसिंह को 900/- रुपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जा है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावे। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की मुदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनायें रखते हुये मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खड़ी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावे।

गन:- प्रार्थना पत्र की प्रतिलिपी

उपखण्ड अधिकारी पदेन  
करेड़ा जिला भीलवाड़ा

लिपि :- तहसीलदार करेड़ा को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करे।

उपखण्ड अधिकारी पदेन  
करेड़ा जिला भीलवाड़ा